



राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: 45/पू0वि0वि0/रा0से0यो0/2018-19

दिनांक: 25.07.2019

प्रेषक-

राकेश कुमार यादव
कार्यक्रम समन्वयक(राष्ट्रीय सेवा योजना),
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर-मो0 नं0-9415651269

सेवा में,

प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत नियमित-एक दिवसीय एवं सात दिवसीय-विशेष शिविर आयोजन हेतु छात्र संख्या (इकाई) आवंटन एवं अति महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन के पत्र संख्या-आवं.-02/सत्तर-रा0से0यो0को0-19-21/2017, दिनांक: 19 जुलाई, 2019 द्वारा आपके महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत नियमित कार्यक्रम (एक दिवसीय शिविर) हेतु.....तथा नियमित कार्यक्रम हेतु आवंटित छात्र संख्या से ही विशेष शिविर (सात दिवसीय) हेतु.....छात्र संख्या "जीरो बेस" आवंटन के आधार पर आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट-2018-19 (स्पाईरल बाइंडिंग) के मूल्यांकन एवं रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त तथा स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र संख्या के जांचोपरान्त आवंटित किया गया है। शासन द्वारा इकाई के गठन हेतु निम्न महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं:-

1. उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का नामांकन सुनिश्चित किया जाय।
2. विशेष शिविर के आयोजन की सूचना, शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से (क) माननीय कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर। (ख) क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0-1,सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ। (ग) विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पन्न अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0को0) विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ। (घ) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी। (ङ) कार्यक्रम समन्वयक (रा0से0यो0), वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर। (च) संबंधित जिलाधिकारी। (छ) संबंधित पुलिस अधीक्षक। (ज) संबंधित थानाध्यक्ष। (झ) संबंधित खण्ड विकास अधिकारी। (ञ) शिविर आयोजन स्थल से संबंधित गांव के ग्राम प्रधान एवं प्रधानाचार्य-प्राथमिक/पूर्व मा0 विद्यालय /अन्य शिविर स्थल के प्रभारी को प्रेषित करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में भविष्य में इकाई का आवंटन सम्भव नहीं होगा।
3. भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाईयों को गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई-मेल के माध्यम से (1) एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ उ0प्र0शासन लखनऊ(sloup.nss@gmail.com), (2) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, केन्द्रीय भवन, लखनऊ (nssrclucknow@gmail.com), (3) विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना (nssvbpu.jnp@gmail.com) को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाईयों को भविष्य में शासन द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
4. इकाईयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम इकाईवार 21-21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7x2)=14पृष्ठ, प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ x7) इकाईवार संलग्न होनी चाहिए। यदि एक से अधिक इकाई आवंटित हैं तो उपर्युक्त के अनुसार अलग-अलग रिपोर्ट कम्प्यूटर से तैयार कराकर एक साथ स्पाईरल वाइडिंग कराते हुए नियमित (सामान्य चार एक दिवसीय) कार्यक्रमों/शिविरों की भी इकाईवार 8-8 पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार कराकर विशेष शिविर रिपोर्ट के साथ में बाइंडिंग कराते हुए जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष धनराशि का भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः यदि आप द्वारा अभी तक उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना मद से संबंधित संस्था के पते पर प्राचार्य एवं अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी के पद नाम से संयुक्त सामान्य एवं विशेष शिविर अनुदान संबंधी अलग-अलग खातों का संचालन नहीं किया गया है तो एक सप्ताह के अन्दर उक्त कार्यवाही करते हुए खाते से संबंधित दिये गये प्रारूप पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए तथा पास बुक/बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति प्रमाणित कर संलग्न करते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि उक्त कार्यवाही आपके द्वारा एक सप्ताह के भीतर नहीं कर लिया जाता है तो आपकी संस्था में आवंटित छात्र संख्या स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।

6. आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा आवंटित नियमित कार्यक्रम/विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु आवंटित छात्र संख्या से अधिक स्वयंसेवकों को कार्यक्रम में शामिल न किया जाय, साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह योजना दो वर्षीय है। कृपया प्रारम्भिक सत्र में केवल स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं का ही पंजीकरण किया जाय। पंजीकरण शुल्क पूर्व की भाँति ₹0-5.00 प्रति स्वयंसेवक निर्धारित है। समस्त संलग्न प्रारूप पूरित करते हुए पंजीकरण शुल्क बैंक ड्राफ्ट सहित दिनांक: 30.09.2019 तक विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में कोई प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि आप द्वारा इकाई का संचालन सत्र 2019-20 में नहीं किया जायेगा और शासन के निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय को आवंटित छात्र संख्या अन्य इच्छुक महाविद्यालयों को आवंटित कर दी जायेगी। उक्त समस्त प्रारूप एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाइट www.vbspu.ac.in पर भी उपलब्ध है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय से 9452769768, 8887540010, एवं 9452977909 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
7. विगत सत्रों में (2017-18 तक) आपको इकाई संचालित किये जाने हेतु अवमुक्त किये गये (सामान्य कार्यक्रम एक दिवसीय शिविर) एवं विशेष शिविर (सात दिवसीय हेतु) अनुदान की सम्परीक्षा भारत सरकार के निर्देशानुसार कराया जाना अनिवार्य है। जिसके सम्बन्ध में आपको सत्र-2018-19 में निर्देशित किया गया था। यदि आप द्वारा सत्र-2017-18 तक प्राप्त अनुदान की सम्परीक्षा नहीं करायी गयी है तो विश्वविद्यालय वित्त विभाग से सम्पर्क करके प्राप्त अनुदान की सम्परीक्षा कराने का कष्ट करें, जिससे विगत सत्र के बकाये के साथ-साथ सत्र-2019-20 के साथ आगामी माह में सम्भावित भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आप द्वारा दिये गये राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य व विशेष शिविर खातों में अलग-अलग स्थानान्तरित किया जा सके।
8. छात्र/छात्रा के पंजीकरण के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एन0सी0सी0, रोवर्स/रेंजर्स के छात्र/छात्राओं का पंजीकरण राष्ट्रीय सेवा योजना में न किया जाय। यह नियम अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों के अनुमोदन/नियुक्ति पर भी लागू होगा। कृपया इस नियम के आलोक में ही अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों के अनुमोदन प्रस्ताव विश्वविद्यालय स्थित रा0से0यो0 कार्यालय को उपलब्ध करायें। अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार के तथ्यगोपन के लिये संबंधित महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।
9. इकाई के संचालन हेतु जिस इकाई के अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उस इकाई के नये कार्यक्रम अधिकारी के अनुमोदनार्थ पूर्व की भाँति प्रस्ताव अविलम्ब कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। जिससे माननीय कुलपति जी से नये कार्यक्रम अधिकारी का अनुमोदन समय से प्राप्त कर नियुक्ति हेतु अनुमोदन पत्र निर्गत किया जा सके। अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों के अनुमोदन प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेजते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाय कि प्रस्ताव में शिक्षकों का वरिष्ठताक्रम बना रहे। भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के निर्देशानुसार सभी प्राचार्य एवं अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी के मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से संलग्न प्रारूप पर कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कार्यक्रम की सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराई जा सके।
10. दिनांक: 30.09.2019 तक सत्र-2019-20 हेतु पंजीकरण शुल्क के साथ इकाई गठन संबंधी समस्त प्रपत्र निर्धारित प्रारूप पर (जो विगत सत्र की भाँति विश्वविद्यालय की वेबसाइट, एन0एस0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध है) दो सेट पूरित करते हुए प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त विश्वविद्यालय में समय से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय। एन0एस0एस0 की समस्त गतिविधियों के संचालन संबंधी सूचना उक्त पोर्टल पर उपलब्ध रहती है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि एन0एस0एस0 की गतिविधियों की सूचना हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एन0एस0एस0 पोर्टल का नियमित अवलोकन किया जाय।
11. सत्र-2019-20 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत चार एक दिवसीय सामान्य शिविर आयोजन हेतु प्रस्तावित तिथियां निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	उत्सव विवरण	तिथि एवं माह	कार्यक्रम
1.	राष्ट्रीय युवा दिवस (विवेकानन्द जयन्ती)	12 जनवरी	निबन्ध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता
2.	राष्ट्रीय युवा सप्ताह	12 जनवरी से 19 जनवरी	संगोष्ठी, नाटक, निबंध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता
3.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	परेड, झांकी, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम
4.	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	08 मार्च	संगोष्ठी
5.	शहीद दिवस	23 मार्च	संगोष्ठी, भाषण
6.	विश्व स्वास्थ्य दिवस	07 अप्रैल	स्वास्थ्य परीक्षण, जागरूकता कार्यक्रम
7.	आतंकवाद विरोधी दिवस	21 मई	संगोष्ठी, भाषण
8.	विश्व तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई	संगोष्ठी, भाषण, जागरूकता कार्यक्रम
9.	विश्व पर्यावरण दिवस	05 जून	भाषण, संगोष्ठी, पौधरोपण
10.	विश्व रक्तदान दिवस	14 जून	रक्तदान, संगोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम
11.	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून	योगा कार्यक्रम
12.	वन महोत्सव सप्ताह	01 जुलाई से 07 जुलाई	पौधरोपण, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम
13.	विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई	भाषण, संगोष्ठी
14.	अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस	12 अगस्त	संगोष्ठी, नाटक, निबंध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता

15.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	संगोष्ठी, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम
16.	सद्भावना दिवस	20 अगस्त	पौधरोपण, संगोष्ठी
17.	शिक्षक दिवस	05 सितम्बर	संगोष्ठी, पौधरोपण
18.	विश्व साक्षरता दिवस	08 सितम्बर	साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम
19.	राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस	24 सितम्बर	संगोष्ठी, रैली
20.	राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस	01 अक्टूबर	रक्त परीक्षण/रक्तदान, जागरूकता कार्यक्रम
21.	गाँधी जयन्ती	02 अक्टूबर	कैम्पस स्वच्छता, संगोष्ठी, रैली
22.	विश्व खाद्य दिवस	16 अक्टूबर	संगोष्ठी, जागरूकता रैली
23.	यातायात नियंत्रण दिवस	24 अक्टूबर	संगोष्ठी, जागरूकता रैली
24.	राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर	एकता की दौड़, जागरूकता रैली
25.	बाल दिवस	14 नवम्बर	स्वास्थ्य मेला एवं विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताएँ
26.	राष्ट्रीय एकीकरण दिवस	19 नवम्बर	विचारगोष्ठी, श्रमदान
27.	कौमी एकता सप्ताह	19 नवम्बर से 25 नवम्बर	निबन्ध प्रतियोगिता, पोस्टर, नाटक, सामुदायिक कार्यक्रम
28.	विश्व एड्स दिवस	01 दिसम्बर	रैली, संगोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम
29.	अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस	05 दिसम्बर	रैली, संगोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम
30.	विश्व मानवाधिकार दिवस	10 दिसम्बर	रैली, संगोष्ठी, मानव श्रंखला

उक्त प्रस्तावित तिथियों के अतिरिक्त अवकाश दिवस/रविवार को भी एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा सकता है।

12. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन हेतु प्रस्तावित तिथियां निम्नवत हैं:-

1. 24 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019(आजमगढ़, मऊ)
2. 25 दिसम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2019(गाजीपुर जौनपुर)
3. 15 जनवरी 2020 से 21 जनवरी 2020(आजमगढ़, मऊ)
4. 25 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020(गाजीपुर जौनपुर)
5. 05 फरवरी 2020 से 11 फरवरी 2020(आजमगढ़, मऊ)
6. 15 फरवरी 2020 से 21 फरवरी 2020(गाजीपुर जौनपुर)

नोट: हंडिया पी.जी.कालेज, हंडिया इलाहाबाद उपर्युक्त प्रस्तावित तिथियों में किसी भी एक तिथि में शिविर लगा सकते हैं।

भवदीय

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ, विशेष कार्याधिकारी, माननीय कुलपति जी।
2. डॉ० अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पन्न अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा०से०यो०को०) विभाग, बहुखण्डी भवन, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. डॉ० अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं०-1, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. श्री के०एल०सेठ, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सम्परीक्षा कार्यालय, जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संबंधित पत्र, प्रारूप विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर एन०एस०एस० पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सच्चा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

वार्षिक कलैण्डर प्रारूप वर्ष 2019-2020 (इकाईवार वि०वि० कार्यालय में जमा किया जाय)

1. इकाई क्रमांक..... रा०से०यो० इकाई का सत्र-.....(प्रथम/द्वितीय)
2. महाविद्यालय का नाम.....
3. प्राचार्य का नाम.....
4. मोबाइल नम्बर एवं टेलीफोन नम्बर.....
5. नीचे दिये गये विवरण के अनुसार-इकाईवार

इकाई क्रमांक	प्रत्येक इकाई द्वारा चयनित ग्राम का नाम	महाविद्यालय से दूरी (महाविद्यालय से 8 किमी. के अर्न्तगत हो)

6. नीचे दिये गये विवरण के अनुसार-इकाईवार

इकाई क्रमांक	प्रत्येक इकाई के कार्यक्रम अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित, प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र संलग्न करें

7. नीचे दिये गये विवरण के अनुसार-(एक या एक से अधिक इकाईयों का संख्या सूचक एक साथ जोड़कर अंकित किया जाना है)

वर्ग	नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत पंजीकृत स्वयं सेवकों की संख्या			विशेष शिविर अर्न्तगत पंजीकृत स्वयं सेवकों की संख्या		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
सामान्य						
पिछड़ा						
अनुसूचित जाति						
अनुसूचित जन-जाति						
अल्पसंख्यक						
योग-						

8. चार एक दिवसीय कार्यक्रम की प्रस्तावित तिथियां:-(1).....(2).....(3).....(4).....
9. सात दिवसीय विशेष शिविर की प्रस्तावित तिथि:-.....
10. इस विशेष शिविर के दौरान किये जाने वाले कार्यों का विवरण.....

प्रति हस्ताक्षरित

प्राचार्य
मुहर

ह० कार्यक्रम अधिकारी
मुहर

सदस्यता फार्म नं..... प्रारूप-2
महाविद्यालय प्रति मूल्य रु. 5/-

राष्ट्रीय सेवा योजना
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर
वार्षिक नामांकन फार्म (सत्र 2019-2020)
सदस्यता वर्ष-.....(प्रथम/द्वितीय)

1. महाविद्यालय का नाम.....
2. छात्र/छात्रा का नाम.....
3. आधार संख्या.....
4. पिता या पति का नाम.....
5. कक्षा.....
6. संरक्षक का नाम.....
7. व्यवसाय.....
8. धर्म/जाति/श्रेणी.....
9. पत्र व्यवहार का पता.....
10. स्थायी पता.....
11. जन्म तिथि (अंकों में).....(शब्दों में).....
12. मोबाईल नं0.....ई.मेल-.....
13. रा.से.यो. में प्रवेश की तिथि.....
14. रा.से.यो. इकाई में पंजीकृत क्रमांक.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ करूँगा/करूँगी एवं अनुशासित समाजसेवी की तरह रहूँगा/रहूँगी। यदि मेरे द्वारा रा.से.यो. के कार्यों में कभी कोई कमी पायी जाती है तो मेरी सदस्यता समाप्त कर दी जाय। मैं रा.से.यो. के इस सात दिवसीय विशेष शिविर में 24 घण्टे उपस्थित रहने की भी अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी
दिनांक.....
मुहर

स्वयं सेवक/सेविका का पूरा हस्ताक्षर
दिनांक.....

सदस्यता फार्म नं..... प्रारूप-2
विश्वविद्यालय प्रति मूल्य रु. 5/-

राष्ट्रीय सेवा योजना
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर
वार्षिक नामांकन फार्म (सत्र 2019-2020)
सदस्यता वर्ष-.....(प्रथम/द्वितीय)

1. महाविद्यालय का नाम.....
2. छात्र/छात्रा का नाम.....
3. आधार संख्या.....
4. पिता या पति का नाम.....
5. कक्षा.....
6. संरक्षक का नाम.....
7. व्यवसाय.....
8. धर्म/जाति/श्रेणी.....
9. पत्र व्यवहार का पता.....
10. स्थायी पता.....
11. जन्म तिथि (अंकों में).....(शब्दों में).....
12. मोबाईल नं0.....ई.मेल-.....
13. रा.से.यो. में प्रवेश की तिथि.....
14. रा.से.यो. इकाई में पंजीकृत क्रमांक.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ करूँगा/करूँगी एवं अनुशासित समाजसेवी की तरह रहूँगा/रहूँगी। यदि मेरे द्वारा रा.से.यो. के कार्यों में कभी कोई कमी पायी जाती है तो मेरी सदस्यता समाप्त कर दी जाय। मैं रा.से.यो. के इस सात दिवसीय विशेष शिविर में 24 घण्टे उपस्थित रहने की भी अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी
दिनांक.....
मुहर

स्वयं सेवक/सेविका का पूरा हस्ताक्षर
दिनांक.....

राष्ट्रीय सेवा योजना वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

वर्ष 2019-2020 में आयोजित होने वाल सामान्य/विशेष शिविर कार्यक्रम की सूचना उ0प्र0शासन एवं भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय आदि को प्रेषित करने का प्रारूप महाविद्यालय का नाम.....

इकाई क्रमांक	शासन द्वारा आवंटित छात्र संख्या (विवरण इकाईवार अंकन एवं नीचे योग अवश्य किया जाय)						प्रत्येक इकाई के कार्यक्रम अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर	चयनित ग्राम मलिन बस्ती का नाम तथा दूरी (प्रत्येक इकाई के लिये ग्राम चयन किया जाए)	शिविर दिन का अथवा दिन-रात	इकाई द्वारा सदस्यता फार्म 31.08.19 को प्राप्त अथवा नहीं	एक दिवसीय शिविर की तिथियां	सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन की तिथि	शिविर स्थल का नाम व पूरा पता	चयनित ग्राम के प्रधान का नाम एवं मोबाइल नम्बर	शासन/सहायक कार्यक्रम सलाहकार भारत सरकार/जिला अधिकारी/ कुलपति आदि को विशेष शिविर आयोजन की सूचना प्रेषण तिथि एवं रजि. डाक की छाया प्रति संलग्न करें।
	सामान्य कार्यक्रम			विशेष शिविर कार्यक्रम											
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
योग-															

प्राचार्य
मुहर

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना
मुहर

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

अनिवार्य-शीर्षप्राथमिकता-समयबद्ध-31 अगस्त, 2019 तक

राष्ट्रीय सेवा योजना-कार्यक्रम संचालन हेतु संस्थाओं द्वारा अनुदान आहरण हेतु खोले गये खाते का विवरण विश्वविद्यालय

कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रारूप

अधोलिखित विवरण के अनुसार यदि संबंधित महाविद्यालय द्वारा अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना, कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान आहरण हेतु संस्था के पते पर प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी(राष्ट्रीय सेवा योजना) का संयुक्त रूप में पद नाम से अलग से खाते का संचालन नहीं किया गया है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना मद से संबंधित तत्काल नया खाता राष्ट्रीयकृत बैंक (यथा-पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आदि) में खोल कर ही भरें। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में बिना उक्त प्रारूप भरकर संबंधित पास-बुक की प्रमाणित छाया प्रति के साथ मूल प्रति सहित जमा किये बिना सत्र-2018-19 व 2019-20 का अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी संस्थाओं को सत्र-2018-19 से अनुदान का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 (पब्लिक फाईनेन्स मैनेजमेण्ट सिस्टम) के माध्यम से (online) किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें सभी संबंधित संस्थाओं का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना यथाशीघ्र दी जायेगी। सूचना संबंधी प्रारूप निम्नवत है:-

संस्था का नाम:

क्रमांक	संयुक्त खाते का नाम पता सहित पास बुक के अनुसार	बैंक का नाम व पता	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम हेतु संचालित संबंधित बैंक खाता संख्या	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम हेतु संचालित खाते से संबंधित बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड
1.	प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी-राष्ट्रीय सेवा योजना पता.....		सामान्य शिविर	
2.	प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी-राष्ट्रीय सेवा योजना पता.....		विशेष शिविर	

1. प्राचार्य का नाम:.....
मोबाईल / वाटसप नं0:-.....
ई-मेल.....

2. खाते से संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का नाम:
मोबाईल / वाटसप नं0:-.....
ई-मेल.....

हस्ताक्षर प्राचार्य
मुहर

हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी
मुहर

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

अनिवार्य-शीर्षप्राथमिकता-समयबद्ध-31 अगस्त 2019 तक
प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी का विवरण

क्र०सं०	नाम	पद	मो०नं०	व्हाट्सऐप नं०	ईमेल आई-डी	कार्यक्रम अधिकारी नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र संलग्न करें
1.		प्राचार्य					
2.		कार्यक्रम अधिकारी प्रथम इकाई					
3.		कार्यक्रम अधिकारी द्वितीय इकाई					
4.		कार्यक्रम अधिकारी तृतीय इकाई					
5.		कार्यक्रम अधिकारी चतुर्थ इकाई					
6.		कार्यक्रम अधिकारी पंचम इकाई					
7.		कार्यक्रम अधिकारी षष्ठम् इकाई					
8.		कार्यक्रम अधिकारी सप्तम् इकाई					

नोट:- आवंटित इकाईवार विवरण अंकित किया जाना है। यदि एक इकाई ही आवंटित है तो एक ही कार्यक्रम अधिकारी का विवरण अंकित किया जाय शेष कालम (X) कर दिया जाय।

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी
मुहर

प्राचार्य
मुहर

नमूना राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर
अनिवार्य-शीर्षप्राथमिकता-समयबद्ध- 31 अगस्त 2019 तक

राष्ट्रीय सेवा योजना-कार्यक्रम संचालन हेतु संस्थाओं द्वारा अनुदान आहरण हेतु खोले गये खाते का विवरण विश्वविद्यालय
कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रारूप

अधोलिखित विवरण के अनुसार यदि संबंधित महाविद्यालय द्वारा अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना, कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान आहरण हेतु संस्था के पते पर प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी(राष्ट्रीय सेवा योजना) का संयुक्त रूप में पद नाम से अलग से खाते का संचालन नहीं किया गया है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना मद से संबंधित तत्काल नया खाता राष्ट्रीयकृत बैंक (यथा-पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आदि) में खोल कर ही भरें। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में बिना उक्त प्रारूप भरकर संबंधित पास-बुक की प्रमाणित छाया प्रति के साथ मूल प्रति सहित जमा किये बिना सत्र-2018-19 व 2019-20 का अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी संस्थाओं को सत्र-2018-19 से अनुदान का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 (पब्लिक फाईनेन्स मैनेजमेण्ट सिस्टम) के माध्यम से (online) किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें सभी संबंधित संस्थाओं का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना यथाशीघ्र दी जायेगी। सूचना संबंधी प्रारूप निम्नवत है:-

संस्था का नाम: राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊँ, जौनपुर।

क्रमांक	संयुक्त खाते का नाम पता सहित पास बुक के अनुसार	बैंक का नाम व पता	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम हेतु संचालित संबंधित बैंक खाता संख्या	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम हेतु संचालित खाते से संबंधित बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड
1.	प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी-राष्ट्रीय सेवा योजना पता राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊँ, जौनपुर।	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- सिंगरामऊँ, जौनपुर।	सामान्य शिविर 363602010001751	UBIN0536369
2.	प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी-राष्ट्रीय सेवा योजना पता.. राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊँ, जौनपुर।	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- सिंगरामऊँ, जौनपुर।	विशेष शिविर 363602010019119	UBIN0536369

1. प्राचार्य का नाम: डॉ0 एन0के0 सिंह
मोबाईल/वाटसप नं0:-9415894348
ई-मेल-sanjaivi1978@gmail.com

2.खाते से संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का नाम: डॉ0 अनुराग सिंह
मोबाईल/वाटसप नं0:-9455122884
ई-मेल rhspgcl@gmail.com

हस्ताक्षर प्राचार्य
मुहर

हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी
मुहर

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

नियमित कार्यक्रम 2019-20 का व्यय विवरण (दो प्रति में) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का प्रोफार्मा
अन्तिम तिथि 10 अप्रैल 2020

पत्र सं. / 2020-21

दिनांक:

1. महाविद्यालय का नाम.....
2. नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत आवंटित छात्र संख्या
3. वास्तविक रूप से पंजीकृत स्वयं सेवकों की संख्या पुरुष..... महिला..... योग.....
4. गत वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2019 को अव्ययित शेष रु.
5. अन्य स्रोतों से आय रु.
6. वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुदान चेक संख्या..... दिनांक..... रु.
7. व्यय हेतु उपलब्ध वर्ष 2019-20 में कुल धनराशि (क्र. 4,5,6 का योग) रु.
8. (क) विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय पर नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत व्यय धनराशि का विवरण:-
 - (1) अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी का आउट आफ पाकेट एलाउंस अनुमोदन/नियुक्ति पत्र संलग्न करें रु.
 - (2) अंशकालिक लिपिक का मानदेय रु.
 - (3) अंशकालिक परिचर का मानदेय रु.
 - (4) उपकरण पर व्यय रु.
 - (5) स्टेशनरी/पोस्टेज आदि पर व्यय रु.
 - (6) यात्रा बैठक आदि पर व्यय रु.
 - (7) विभिन्न कार्यक्रमों/जागरुकता रैली आदि पर व्यय रु.
 - (8) अनुषांगिक व्यय रु.
 - (9) बैंक द्वारा कटौती रु.

कुल योग रु.

(ख) नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिग्रहित ग्राम/मलिन बस्ती में आयोजित कार्यक्रमों पर व्यय राशि का विवरण:-

क्रमांक	नियमित कार्यक्रम/एक दिवसीय शिविर आयोजन स्थल का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या			जलपान आदि पर व्यय की गई धनराशि रुपये
			पुरुष	महिला	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
योग- (शब्दों में)			कुल योग-			

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल व्यय सामान्य कार्यक्रम अनुदान धनराशि (8 'क' एवं 'ख' का योग) रु.
9. 31 मार्च 2020 को अव्ययित शेष धनराशि (क्रमांक 7-8) रु.

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करते हैं कि सामान्य शिविर कार्यक्रम हेतु शासन के निर्धारित मानक के अनुसार ही व्यय कर उपर्युक्त व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतया सत्य है।

प्रत्येक इकाई के कार्यक्रम अधिकारी का नाम

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

प्राचार्य
मुहर

राष्ट्रीय सेवा योजना
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

विशेष शिविर कार्यक्रम 2019-20 का व्यय विवरण(दो प्रति में)विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का प्रोफार्मा
अन्तिम तिथि 10अप्रैल, 2020

पत्र सं..... /2020-21

दिनांक:.....

1. महाविद्यालय का नाम.....
2. विशेष कार्यक्रम के अर्न्तगत आवंटित छात्र संख्या
3. वास्तविक रूप से पंजीकृत स्वयं सेवकों की संख्या पुरुष.....महिला.....योग.....
4. गत वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2019 को अव्ययतित शेष रु.
5. अन्य स्रोतों से आय रु.
6. वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुदान चेक संख्या.....दिनांक.....रु.
7. व्यय हेतु उपलब्ध वर्ष 2019-20 में कुल धनराशि (क्र. 4,5,6 का योग) रु.
8. सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम के अर्न्तगत व्यय धनराशि का विवरण:-

क्रमांक	इकाई क्रमांक	विशेष शिविर कार्यक्रम/सात दिवसीय शिविर आयोजन स्थल का नाम	शासन को विशेष शिविर आयोजन की सूचना प्रेषित करने की तिथि	विशेष शिविर में प्रतिभागियों की संख्या			विशेष शिविर आयोजन पर व्यय की गई कुल धनराशि	विशेष शिविर आयोजन की तिथि	
				पुरुष	महिला	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
योग- (शब्दों में)				कुल योग-					

9. 31 मार्च 2020 को अव्ययतित शेष धनराशि (क्रमांक 7-8) रु.

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करते हैं कि विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु शासन के निर्धारित मानक के अनुसार ही व्यय कर उपर्युक्त व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतया सत्य है।

प्रत्येक इकाई के कार्यक्रम अधिकारी का नाम

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

प्राचार्य
मुहर

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

राष्ट्रीय सेवा योजना की वार्षिक आख्या वर्ष 2019-20

राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा कार्यक्रम समन्वयक को वार्षिक प्रगति उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रोफार्मा

अन्तिम तिथि 10 अप्रैल 2020

पत्र सं...../.....2020-21 दिनांक:.....

1. महाविद्यालय का नाम:
2. प्राचार्य का नाम एवं मो0न0
3. कार्यक्रम अधिकारी का नाम एवं मो0न0
4. कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति तिथि
5. प्रशिक्षण की स्थिति अभिरवी/पुर्नबोधनात्मक
6. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित सूचनाओं को प्रेषण की विधियां:-
 - (1) छात्र संख्या आवंटन प्रस्ताव
 - (2) नियमित कार्यक्रम का व्यय विवरण
 - (3) विशेष शिविर कार्यक्रम का व्यय विवरण
 - (4) उपभोग प्रमाण पत्र
 - (5) छात्र संख्या पंजीकरण/नियमित तथा विशेष शिविर.....
 - (6) नियमित तथा विशेष शिविर आयोजन की तिथि.....
7. राष्ट्रीय सेवा योजना परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने की तिथि.....
प्रतिभागियों की संख्या:.....
8. नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत रा.से.यो. के स्वयं सेवको की संख्या
 - (1) आवंटित छात्र संख्या
 - (2) नामांकित छात्र संख्या
 - (क) पुरुष
 - (ख) महिला
 - (ग) योग
9. विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत रा.से.यो. के स्वयं सेवको की संख्या:
 - (1) आवंटित छात्र संख्या
 - (2) नामांकित छात्र संख्या
 - (क) पुरुष
 - (ख) महिला
 - (ग) योग
10. नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रा.से.यो. इकाईयों की संख्या.....
11. विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रा.से.यो. इकाईयों की संख्या.....
12. अधिकृत ग्रामो/मलिन बस्तियों की संख्या नियमित..... विशेष.....
13. राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित गतिविधियों का विवरण:-
वार्षिक प्रगति आख्या वर्ष 2019-20 (जहां आवश्यक हो कृपया विस्तृत विवरण संलग्न करने का कष्ट करें)

	पुरुष	महिला	योग
(क) शिक्षा एवं मनोरंजन-			
(1) साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्वयं सेवको की संख्या:
(2) साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या:
(3) पाठशाला छोड़े हुये ऐसे बच्चे जिन्हें पुनः प्रवेश दिलाया गया:
(4) शिक्षा एवं मनोरंजन पर आधारित निबन्ध, वाद-विवाद, चार्ट, पोस्टर
(ख) पर्यावरण संवर्धन तथा परीक्षण-			
(1) वृक्षारोपण हेतु खोदे गये गड्ढों की संख्या
(2) रोपित तथा जीवित पौधों की संख्या:
(3) सम्पन्न मार्गों का निर्माण व मरम्मत कुल लम्बाई चौड़ाई: केवल वर्ग मीटर में
(4) साफ किये गये कुओं/गलियों/नालियों की संख्या:
(5) अन्य गतिविधियाँ (शीर्षक सहित) तथा उसमें भाग लेने वाले स्वयं सेवकों की संख्या.....
(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-			
(1) रक्तदान हेतु पंजीकृत स्वयं सेवकों तथा रक्तदाताओं की संख्या
(2) एडस के सम्बन्ध में जागरूक किये गये व्यक्तियों की संख्या:
(3) प्रतिरोधक टीकों आदि से लाभान्वित बच्चों की संख्या:
(4) अन्य गतिविधियाँ(शीर्षकसहित)तथा उसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की सं0.....

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कार्यक्रम अधिकारियों हेतु महत्त्वपूर्ण निर्देश बिन्दु-

1. राष्ट्रीय सेवा योजना का संक्षिप्त परिचय-प्रतीक चिन्ह, ध्येय वाक्य, स्थापना, लक्ष्य, उद्देश्य।
2. वर्ष की थीम, लक्ष्य गीत, संकल्प गीत।
3. अल्फा न्यूमेरिक कोड।
4. कार्यक्रम संचालन से संबंधित बिन्दु:-
 - (1) सलाहकार समिति का गठन एवं बैठक। (प्राचार्य, कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ प्राध्यापक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, चयनित ग्राम के प्रधान, दो पूर्व छात्र)
 - (2) सामान्य कार्यक्रम 120 घण्टे (20+30+70)
 - (3) वार्षिक कार्य योजना।
 - (4) चयनित ग्राम।
 - (5) ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र/ग्राम सर्वेक्षण।
 - (6) इकाई स्तर पर विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करना यथा प्राथमिक विद्यालयों में कार्य, ग्राम स्वच्छता, टीकाकरण, साक्षरता, पुस्तकालय इत्यादि स्थायी सम्पत्ति का निर्माण, रक्तदान, वृक्षारोपण, शौचालय निर्माण नशामुक्त ग्राम अवधारणा, पूर्ण साक्षर ग्राम अवधारणा, रा0से0यो0 पाक, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, वर्षा जल संचयन, मतदाता जागरूकता और वृद्धजनों की समस्याओं पर गोष्ठी का आयोजन आदि।
5. बैंक खातों (संयुक्त नाम से) का संचालन व खाते खोलने संबंधी नियम।
6. एक दिवसीय शिविरों का आयोजन।
7. कार्य योजना का निर्माण।
8. कार्यक्रमाधिकारियों का कार्यकाल व विस्तरण।
9. पूर्व गणतंत्र दिवस परेड, राष्ट्रीय शिविरों में प्रतिभाग हेतु चयन प्रक्रिया।
10. निवेश पत्र, कार्य योजना, पंजीकरण शुल्क, पंजीकृत छात्र की सूची का प्रेषण।
11. आडिट आपत्तियों एवं व्यय-विवरण का निस्तारण।
12. अभिलेखों का विवरण-1. दसवर्षीय आधार पर अभिलेखों का निर्माण। 2. पंजीकरण 3. कार्ययोजना 4. कैशबुक 5. पासबुक 6. बाउचर फाईल।
13. प्रपत्रों के प्रेषण की तिथियां।
14. विशेष शिविरों के आयोजन संबंधी सूचनाएं उद्घाटन (प्रातः 10 बजे तक)
15. कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग।
16. प्रमाणपत्रों का प्रेषण।
17. इकाई स्तर पर बोर्ड लगाना।
18. इकाईवार प्रपत्र 01 एवं 02 प्रपत्र-03 एवं 04 समेकित रूप से निर्धारित पंजीकरण शुल्क बैंक ड्राफ्ट के साथ दिनांक: **31.08.2019** तक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय को कम्प्यूटर से टंकित एवं ई-मेल के माध्यम से एन0एस0प्रकोष्ठ उ0प्र0शासन(sloup.nss@gmail.com), क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, केन्द्रीय भवन लखनऊ (nssrclucknow@gmail.com) तथा विश्वविद्यालय राष्ट्रीयसेवायोजना कार्यालय (nssvbspu.jnp@gmail.com) पर सूचित करते हुए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिससे विभिन्न सूचनाएं विश्वविद्यालय स्तर से शासन शासन को भेजी जा सकें। रा0से0यो0 के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ तथा पेपर कटिंग उक्त मेल पर बराबर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। अन्त में वार्षिक रिपोर्ट यथा-विशेष शिविर, सामान्य शिविर एवं अन्य कार्यक्रमों की रिपोर्ट विगत सत्र-2016-17 की भांति स्पाईरल बाईडिंग सहित सत्र 2017-18 हेतु इकाई आवंटन प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय। बिना उक्त रिपोर्ट के आगामी सत्र हेतु इकाई आवंटन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कार्यक्रम समन्वयक (रा0से0यो0), समस्त विश्वविद्यालय/+2मण्डल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड को सम्बोधित, सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0-1, सेक्टर-‘एच’, अलीगंज, लखनऊ-226024 के पत्र संख्या-4-113/रा.से.यो./क्षेके/लख/2012-13, दिनांक: मई 17,2012 की टंकित प्रति:-

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना- कार्यक्रम संचालन एवं विषयवस्तु के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सचिव भारत सरकार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आहुत बैठक में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इसके संचालन संबंधी विभिन्न निर्णय लिए गये हैं जो निम्नवत हैं:-

1. वर्ष 2019-20 से राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों की विषयवस्तु (Theme) “कौशल विकास हेतु युवा” निर्धारित की गई है।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का आरम्भ एवं कार्यक्रमों का समापन राष्ट्रीय सेवा योजना गीत “उठें समाज के लिए उठें-उठें.....” के साथ किया जाय।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में स्थानीय जन प्रतिनिधि -चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हो, को अवश्य आमंत्रित किया जाय।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु यथासंभव इलेक्ट्रानिक माध्यमों/ई न्यूज लेटर एवं पोर्टल आदि का प्रयोग किया जाय।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवको को सूचना के अधिकार संबंधित जानकारी प्रदान की जाय।
6. राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों के दौरान स्वयंसेवको को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट संबंधी जानकारी दी जाए। तथा एन.एस.डी.सी. (National Skill Development Corporation) के माध्यम से संबंधित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कराई जाए।
7. स्वयंसेवको को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जिला स्तर पर एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार युवा शक्ति के उपयोग की योजनाएं बनाई जाएं एवं इस कार्य हेतु समाजशास्त्र, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं मानव विज्ञान के जिला स्तर/विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध विद्वानों/शिक्षकों का सहयोग लिया जाए।
8. राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं ग्रामीण कृषि केन्द्र का अवलोकन अवश्य कराया जाए।

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

राज्य स्तर पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 हेतु विचार करने हेतु प्रात्रता शर्तः-

विश्वविद्यालय / + 2 परिषद स्तर पर

1. विश्वविद्यालय / + 2 परिषद, जो गत 05 वर्षों से लगातार एन0एस0एस0 कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, पर ही विचार किया जायेगा।
2. ऐसी संस्थाओं की न्यूनतम स्वयंसेवकों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए।
3. संस्थाएं अपने कार्यक्रम की रिपोर्टों एवं वित्तीय रिटर्नों को प्रस्तुत करने में अत्यन्त नियमित और समय की पाबंद हों।
4. जिस वर्ष के लिए एन0एस0एस0 हेतु विचार किया जा रहा है, उससे कम से कम तीन वर्ष पहले तक लगातार विशेष शिविर का लक्ष्य और वास्तविक नामांकन प्राप्त कर लिया गया हो।
5. सभी एन0एस0एस0 इकाईयों द्वारा चहुमुखी विकास तथा सफल साक्षरता के ग्रामों / मलिन बस्तियों / क्षेत्रों को अपनाया जाना चाहिए।
6. एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ के विरुद्ध कोई सतक्रता का मामला / जांच लम्बित नहीं होना चाहिए।

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

राज्य स्तर पर इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 हेतु विचार करने हेतु प्रात्रता शर्तः-

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर-

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार पर विचार किया जा रहा है उससे पहले के वर्षों के दौरान एन0एस0एस0 इकाईयां लगातार अस्तित्व में रहा हो।
2. गत तीन वर्षों के दौरान इकाईयों ने अपना नामांकन और विशेष शिविर का लक्ष्य लगातार प्राप्त किया हो।
3. कालेजों/स्कूलों में जहां एक से अधिक एन0एस0एस0 इकाईयां हैं ऐसी इकाईयों में अपना नामांकन और शिविर लक्ष्य पूर्णरूपेण और लगातार पूरा कर लिया हो।
4. प्रत्येक एन0एस0एस0 इकाई द्वारा गांव/मलिन बस्ती/क्षेत्रों को अपनाया जाना चाहिए और अपनी गतिविधियाँ निरन्तर रखनी चाहिए।
5. एन0एस0एस0 इकाई द्वारा अपनाये गये गांव/शहरी मलिन बस्तियों/समुदाय में अचल सम्पत्तियाँ निर्मित गयी हो और उपब्लधियाँ प्राप्त की गयी हो।
6. सभी एन0एस0एस0 इकाईयों के लिए कार्यक्रम अधिकारियों का चयन एन0एस0एस0 मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार होना चाहिए।
7. पुरस्कार पर विचार करने से पहले उसे टी0ओ0सी0/टी0ओ0आर0सी0 पर प्रशिक्षित होना चाहिए और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में न्यूनतम दो वर्ष पूर्ण होना चाहिए।
8. एन0एस0एस0 कार्यक्रम अधिकारी का पुरस्कार उस कार्यक्रम अधिकारी को दिया जायेगा जिसकी इकाई ने उसी वर्ष का राष्ट्रीय एन0एस0एस0 पुरस्कार प्राप्त किया हो।
9. एन0एस0एस0 इकाई के विरुद्ध कोई सतक्रता/जांच का मामला लम्बित न हो।

कार्यक्रम समन्वयक

वर्ष 2020-21 के लिये (पूर्व में जिन संस्थाओं में योजना लागू है) राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों हेतु आवंटन प्रस्ताव।

क्रम.सं.	विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2019-20 में रा0से0यो0 सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा आवंटित छात्र संख्या	वर्ष 2019-20 में रा0से0यो0 का पंजीकरण फार्म कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय में जमा करने की तिथि	पंजीकृत छात्र संख्या		
				छात्र	छात्रा	योग
1	2	3	4	5	6	7

इकाई द्वारा चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम व संस्था से दूरी	विशेष शिविर आयोजन की सूचना						
	विशेष शिविर आयोजन की तिथि	इकाई को अनुदान दिये जाने की तिथि	विशेष शिविर आयोजन (कार्यस्थल का नाम)	विशेष शिविर की प्रकृति दिवसीय/दिन रात	विशेष शिविर में सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या		
					छात्र	छात्रा	योग
8	9	10	11	12	13	14	15

आडिट आपत्तियों की संख्या व वर्ष	वर्ष 2019-20 में स्नातक में अध्ययनरत छात्रों की संख्या			वर्ष 2020-21 में नियमित कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित छात्र संख्या	राजकीय/अशासकीय/ स्ववित्तपोषित (स्ववित्तपोषित होने की दशा में मान्यता प्राप्ति की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग		
16	17	18	19	20	21

कार्यक्रम अधिकारी
मोहर

कार्यक्रम समन्वयक
मोहर

प्राचार्य
मोहर

प्रारूप-II

वर्ष 2020-21 में नई संस्थाओं के अन्तर्गत (जहां योजना लागू नहीं है) राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयों का आवंटन प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय का नाम.....

क्र०सं०	विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय का नाम	शासन द्वारा मान्यता प्रदान करने का वर्ष (मान्यता प्राप्ति की फोटो प्रति भी संलग्न करें।)	वर्तमान सत्र में स्नातक के अध्ययनरत छात्रों की संख्या			
			वर्ष	स्नातक प्रथम वर्ष	स्नातक द्वितीय वर्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7
			2017-18			
			2018-19			
			2019-20			

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित छात्र संख्या	राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन कराये जाने का औचित्य (अधिकतम 30 शब्दों में)
8	9

वर्तमान वर्ष में विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय स्तर पर स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या अंकित की जाय। अध्ययनरत संख्या का सत्यापन विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक/कुलसचिव द्वारा किया जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त सभी सूचनाएँ पूर्णतया सत्य हैं तथा उपर्युक्त कालम संख्या-7 में प्रस्तावित छात्र संख्या के अनुसार संबंधित शिक्षण संस्था योजना के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएँ तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ शासन तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अक्षरशः पालन के लिए बचनबद्ध है।

अध्ययनरत छात्रों की संख्या सत्यापित

दिनांक:.....

हस्ताक्षर-प्राचार्य
(सील सहित)

स्थान-.....

संलग्नक-स्ववित्त पोषित कालेज की मान्यता प्राप्ति की सत्यापित फोटो प्रति। हस्ताक्षर-कार्यक्रम समन्वयक/कुलसचिव
(सील सहित)

(उक्त प्रपत्र विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पदा अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा०से०यो० को०) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भी सीधे भेजा जाय।)